'भर्तियां विवादित प्रश्न-उत्तरों में अटक जाती हैं, ऐसे आर.पी.एस.सी. को चलाने का क्या औचित्य?'

राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल व्याख्याता भर्ती-2018 के विवादित प्रश्नों से जुड़े मामले में मौखिक टिप्पणी की

- 'आर.पी.एस.सी के कैसे विशेषज्ञ हैं, जिन्हें पता नहीं कि वे क्या ओपिनियन दे रहे हैं'
- कोर्ट ने आर.पी.एस.सी से पूछा है कि विशेषज्ञ कमेटियों के एक्सपर्ट की योग्यता व उनका ब्यौरा किस कानून में गोपनीय रखा जाता है

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल व्याख्याता भर्ती-2018 के विवादित प्रश्नों से जुडे मामले में मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि आरपीएससी के कैसे विशेषज्ञ हैं, जिन्हें पता नहीं कि वे क्या ओपिनियन दे रहे हैं। इससे तो बेरोजगार युवाओं को परेशान किया जा रहा है। पहले तो भर्तियां होती नहीं हैं और होती हैं तो वे विवादित प्रश्न-उत्तरों में अटक जाती हैं। ऐसे में आरपीएससी चलाने का औचित्य क्या रह जाता है। इसके साथ ही अदालत ने एएजी एसएस राघव से विषय वार बताने को कहा है कि भर्ती में कितने पद थे और कितने पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं। वहीं आरपीएससी से पूछा है कि विशेषज्ञ कमेटियों के एक्सपर्ट की योग्यता व उनका ब्यौरा किस कानून में गोपनीय रखा जाता है। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश हेमराज रोदिया व अन्य की याचिकाओं पर दिए। इसके साथ ही अदालत ने 29 मार्च को आरपीएससी के अधिकारी को पेश होने को कहा है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने कहा कि विषय विशेषज्ञों से ही प्रश्न-उत्तरों की जांच करवाई जानी चाहिए, लेकिन आरपीएससी कभी यह नहीं बताता कि उन्होंने किन एक्सपर्ट से मामले की जांच कराई है। इसलिए मामले की एक्सपर्ट कमेटियों के विशेषज्ञों की जानकारी भी बतानी चाहिए। भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीति विज्ञान, हिंदी, इतिहास व चित्रकला विषय की इस भर्ती में आयोग को एक्सपर्ट कमेटी से विवादित प्रश्नों की जांच करवानी थी, लेकिन अदालती आदेश के बाद भी उत्तर कुंजी में बदलाव नहीं किया गया। वहीं आयोग की ओर से अधिवक्ता एमएफ बेग ने बताया कि आरपीएससी सचिव के ट्रेनिंग प्रोग्राम में मंसूरी जाने के कारण वे पेश नहीं हुए हैं। इसके अलावा मामले का पुनः परीक्षण कराया जा रहा है। इस पर अदालत ने आरपीएससी और राज्य सरकार को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

राज्यपाल कलराज मिश्र और राज्य की प्रथम महिला सत्यवती मिश्र ने बुधवार को नव संवत्सर 2080 और चैत्र नवरात्रि के आरम्भ पर राजभवन स्थित राज राजेश्वर मंदिर में मां दुर्गा की पूजा-अर्चना की। उन्होंने देवी आराधना कर सभी की खुशहाली, सम्पन्नता और बेहतरी के लिए कामना की। राज्यपाल कलराज मिश्र ने चेटीचण्ड पर्व (23 मार्च) के अवसर पर भी देश और प्रदेशवासियो को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

भगवा रैली में लहराई 1100 ध्वज पताकाएं

जयपुर। सीकर रोड ढहर के बालाजी स्थित सियारामदासजी की बगीची से बुधवार को 1100 ध्वज पताकाओं के साथ शोभायात्रा निकली। मंदिर के महंत सियारामदास महाराज ने पूजन कर शोभायात्रा को रवाना किया। जय श्रीराम के जयकारों के साथ शोभायात्रा रवाना हुई। शोभायात्रा में कुछ लोग दुपहिया और चौपहिया वाहनों पर भी थे। अधिकांश लोग पैदल चल रहे थे। शोभायात्रा के खेतान चौराहा पहुंचने पर विहंगम दृश्य बन गया। व्यापारियों ने पुष वर्षा कर शोभायात्रा का स्वागत किया। पथ नंबर सात, प्रतापनगर चौराहा, केडिया पैलेस होते हुए शोभायात्रा मुरलीपुरा सर्किल पहुंची। सर्व समाज की ओर से निकाली गई भगवा रैली आतिशबाजी आकर्षण का केन्द्र रही। विधायक नरपत सिंह राजवी, कांग्रेस के प्रदेश कोषाध्यक्ष सीताराम अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग रैली में शामिल हुए।

विद्यालय प्रबंधन समितियां पुरस्कृत

जयपुर। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के प्रबंधन एवं विकास में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली एसएमसी (स्कूल प्रबंधन समिति) एवं एसडीएमसी (शाला विकास एवं प्रबंधन समिति) को बुधवार को यहां शिक्षा संकुल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वर्चुअल कार्यक्रम में पुरस्कृत किया गया। शिक्षा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला के मुख्य आतिथ्य और शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती जाहिदा खान की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में सभी 33 जिलों से राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए चयनित एक-एक एसएमसी एवं एसडीएमसी के नामों की घोषणा की गई। इन समितियों में से प्रत्येक को एक-एक लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी गई है। समितियों के खातों में कुल 66 लाख रुपये की राशि का हस्तांतरण ऑनलाइन किया जा रहा है।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए शिक्षा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने कहा कि प्रदेश के स्कूलों के विकास एवं संवर्द्धन में एसएमसी एवं एसडीएमसी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना से नवाचारों की संवाहक बनें। विद्यालयों में एसएमसी एवं एसडीएमसी की स्थापना और सर्वश्रेष्ठ समितियों को राज्य स्तर पर पुरस्कृत करने की योजना इसी परिकल्पना पर आधारित है।

आदेश की पालना नहीं करने पर कोर्ट नाराज

- रिश्वत मामले में गिरफ्तार होकर जेल जाने के बाद भी सवाई माधोपुर नगर परिषद के चेयरमैन को निलंबित नहीं करने के खिलाफ दायर याचिका में राज्य सरकार ने जवाब पेश नहीं किया

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने रिश्वत मामले में गिरफ्तार होकर जेल जाने के बाद भी सवाई माधोपुर नगर परिषद के चेयरमैन को निलंबित नहीं करने के खिलाफ दायर याचिका में राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश नहीं करने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने कहा की 6 अप्रैल तक जवाब पेश किया जाए। ऐसा नहीं करने पर अदालत ने स्वायत्त शासन निदेशक को पेश होकर जवाब देने को कहा है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश तूफान सिंह व अन्य की याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता आरके गौतम ने अदालत को बताया कि नगर परिषद चेयरमैन विमल चंद महावर को रिश्वत मामले में रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। एसीबी में मामला दर्ज होने के बाद 21 अक्टूबर को महावर को जेल भेज दिया गया। वहीं प्रकरण में आरोप पत्र पेश होने के बाद 21 दिसंबर को उन्हें जमानत मिल गई। जमानत पर बाहर आने के बाद महावर ने वापस चेयरमैन पद का कार्यभार संभाल लिया। याचिका में कहा गया कि वर्ष 2015 में इसी नगर परिषद के तत्कालीन चेयरमैन कमलेश कुमार को भी रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद राज्य सरकार ने उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया था। जबकि वर्तमान चेयरमैन महावर को राजनीतिक कारणों के चलते निलंबित नहीं किया गया। याचिका में कहा गया कि गत 27 दिसंबर को नगर परिषद आयुक्त की ओर से महावर की ओर से बिना अनुमति वापस पदभार ग्रहण करने की जानकारी भी उच्चाधिकारियों को दी गई। इसके बावजूद भी आयुक्त ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा कार्मिक विभाग के वर्ष 2001 और वर्ष 2010 में प्रावधान है कि लोक सेवक के रंगे हाथों गिरफ्तार होने पर उसे पद से निलंबित किया जाएगा। इसके अलावा हाल ही में नगर परिषद को 3.50 करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए स्वीकृत हुए हैं। जिनके दुरुपयोग होने की संभावना है। वहीं राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा गया।

प्रदेश में 20 नए करोना संक्रमित मिले

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रदेश में करोना संक्रमण के मामलों में थोड़ा-बहुत उतार चढ़ाव बना हुआ है। इसके चलते बुधवार को राज्य में 20 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं इस बीच रिकवरी कम होने से एक्टिव केस बढ़कर 163 हो गए हैं।

प्रदेश में बुधवार को सात जिलों में 20 नए संक्रमित सामने आए हैं। इससे पहले राज्य में मंगलवार को 31 रोगी पाए गए थे। इधर आज सबसे ज्यादा 5 संक्रमित भीलवाड़ा में मिले हैं। इसके अलावा जोधपुर व उदयपुर में 4-4, अजमेर में 3, बीकानेर में 2 और बूंदी तथा गंगानगर में 1-1 नया संक्रमित मिला है।

प्रदेश में बुधवार को 7 मरीज रिकवर हुए हैं। राज्य में नए संक्रमितों के मुकाबले रिकवरी कम होने से एक्टिव केस बढ़कर 163 हो गई हैं। इनमें इनमें उदयपुर में 38, जयपुर में 39, भीलवाड़ा में 27, बीकानेर में 16, जोधपुर में 13, राजसमंद में 9, अलवर व अजमेर में 8-8, जालोर में 5, गंगानगर में 3, भरतपुर, बूंदी, हनुमानगढ़, झुंझुनूं, कोटा, नागौर और सिरोही में 1-1 मामला है।

प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में करोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। हालांकि राज्य में अब तक इस बीमारी से 9660 लोगों की मौत हो चुकी है।

टाइम्स की वरिष्ठ युवा पत्रकार पलक नान्दी का अचानक हुआ निधन

स्व.पलक नान्दी

जयपुर। वरिष्ठ पत्रकार और टाइम्स ऑफ इण्डिया के जयपुर संस्करण की डिप्टी ब्यूरो प्रमुख पलक नान्दी का आज प्रातः यहाँ निधन हो गया। वह 44 वर्ष की थी और अविवाहित थी।

पलक नान्दी आज प्रातः राजस्थान विश्वविद्यालय में अपने भाई तथा अपने कुत्ते के साथ कार चलाकर भ्रमण के लिए गई। कार पार्क कर वह पैदल भ्रमण के लिए गई ही थी कि अचानक वह गिर पड़ी। उन्हें जबर्दस्त हृदयघात हुआ था और वह मूछित हो गई। उनके भाई मयंक नान्दी जो गत दिन ही अहमदाबाद से पलक के साथ जयपुर आए थे पलक को अस्पताल ले गए। दुर्लभजी अस्पताल के आपातकालीन विभाग में उन्हें ले जाया गया जहाँ डॉक्टरों ने पड़ताल के बाद मृत घोषित किया। डॉक्टरों के अनुसार जब वह अस्पताल लाई गई तब तक उनका निधन हो चुका था।

इसके बाद उनके भाई ने मित्रों और टाइम्स ऑफ इण्डिया के पलक के सहकर्मियों से सम्पर्क किया। इसके बाद पलक को पोस्ट मार्टम कराने के लिए सवाई मानसिंह अस्पताल ले जाया गया। वहाँ से उनके पार्थिव शरीर को कॉवटिया अस्पताल ले जाना गया जहाँ पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट के अनुसार उनकी मौत कार्डियाक अरेस्ट के कारण हुई यह लिखा गया। पलक मूलतः अहमदाबाद की थी, और उनके परिवार के सदस्य अहमदाबाद ही रहते है इस कारण अन्तिम संस्कार अहमदाबाद में करने का फैसला किया गया। उनके शव को एम्बूलेन्स द्वारा अहमदाबाद ले जाया गया। जहाँ कल प्रातः उनका अन्तिम संस्कार किया जाएगा।

शव के साथ उनके भाई मयंक तथा टाइम्स ऑफ इण्डिया के विशेष संवाददाता भानु प्रताप सिंह और वरिष्ठ संवाददाता अजय सिंह अहमदाबाद गए।

तिलक नगर, जहाँ पलक अकेली एक फ्लैट में रहती थी के लोगों ने अहमदाबाद रवाना होने से पूर्व भावभीनी श्रद्धाजंली अर्पित की। उनके अन्तिम दर्शन करने के लिए टाइम्स ऑफ इण्डिया के स्थानीय सम्पादक कुणाल मजूमदार और सम्पादकीय सहकर्मियों ने भी उन्हें श्रद्धाजंली अर्पित की।

हंसमुख और मृदुभाषी पलक का सम्बन्ध अहमदाबाद के निकट पाटन के एक कुलीन नागर ब्राह्मण परिवार से था। पलक ने पत्रकारिता की शिक्षा बडोदरा के एम.एस. विश्वविद्यालय से ली और वर्ष 2002 मुं अपनी पत्रकारिता इण्डियन एक्सप्रेस के अहमदाबाद संस्करण में एक रिपोर्टर के हैसियत से शुरू की। महिलाओं से सम्बन्धित विषयों के अलावा पक्षुक्रूरता आदि विषयों पर इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित रिपोर्टो पर उनकी प्रशंसा हुई।

चार वर्षो तक अहमदाबाद संस्करण में उनकी कार्यक्षमता और रिपोटिंग शैली से प्रसन्न होकर उन्हें जयपुर इण्डियन एक्सप्रेस का राज्य संवाददाता बनाकर भेजा गया। इण्डियन एक्सप्रेस में उनकी राजनीतिक रिपोर्ट विशेष कर भारतीय जनता पार्टी को राजनीति की रिपोर्ट की सर्वत्र चर्चा हुई।

वर्ष 2008 में जब टाइम्स ऑफ इण्डिया का जयपुर संस्करण एक बार पुनः आरंभ हुआ तो वह एक्सप्रेस छोड़कर टाइम्स में आ गई। वर्ष 2018 तक रिपोर्टिंग करने के बाद उन्होंने समाचार समन्वयन का कार्य संभाला और अपनी प्रतिभा तथा दक्षता के बल पर सफल सिद्ध हुई। समाचार संकलन और राज्य के विभिन्न जिलों कीखबरों पर उनकी पैनी निगाहें रहती थी। लीक से हटकर विभिन्न विषयों पर विशेष रिपोर्टिंग करवाने के लिए वह हमेशा सहकर्मियों को प्रेरित करती थी।

पलक अपने शालीन व्यवहार और पशुप्रेम के कारण हमेशा सराही जाती थी। वह अपने प्रिय कुत्ते डमरू को अपना सबे परम मित्र मानती थी। वह बाल रश्मि संस्था की संथापक एलिस गर्ग से हमेशा प्रेरणा लेती थी।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सांसद दीया कुमारी तथा डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने पलक के निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि पलक उद्देश्यपूर्ण और स्वच्छ पत्रकारिता करती थीं और उनके निधन से पत्रकारिता को अपूर्णीय क्षति हुई है।

प्रकृति से जितना जल लें उतना संरक्षण भी करें : रमेश मीणा

जयपुर (का.सं.)। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश चन्द मीना ने कहा है कि प्रकति में जल सीमित है और हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम प्रकति से जितना जल अपने उपयोग के लिए उतना ही प्रकति को अपने जल संरक्षण कार्यों से लौटाएं भी।

मीना विश्व जल दिवस के अवसर पर बुधवार अपराह्न जवाहर कला केन्द्र में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राजीव गांधी जल संचय योजना आरजीजेएसवाई के द्वितीय चरण का वर्चुअल शुभारम्भ करने के बाद राज्य भर से आए जलग्रहण समितियों के प्रतिनिधियो विभागीय अधिकारियो ग्रामीणों को सम्बोधित कर रहे थे।

मीना ने कहा कि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है। जल अग्नि धरती आकाश और वायु तत्वों के आदर और संरक्षण की परम्परा हमारी संस्कृति में हमेशा रही है। औद्योगिक गतिविधियों अतिक्रमण अत्यधिक दोहन अविवेकी खेती से जल चक्र अवरोधित हो रहा है। भावी पीढि यों और प्रकृति के लिए जल का समुचित प्रबन्धन जरूरी है।

उन्होंने ग्रामीण जन को नदियों की सेंटर लाइन तय करने लुप्त हो चुकी नदियों के पुनर्जीवन के लिए प्रयास करने ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने खेती के लिए जैविक खाद का उपयोग करने रास्तों से अतिक्रमण हटा जलाशयों में पानी की पहुंच सुनिश्चित करने में सहयोग के लिए अनुरोध किया। साथ ही हर व्यक्ति को जल संरक्षण का संकल्प लेने को कहा।

जयपुर में बनेगा नगर वन

जयपुर (का.सं.)। जयपुर वासियों के लिए बड़ा हर्ष का विषय है जयपुर की सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र के खातीपुरा इलाके में वन विभाग की भूमि पर भारत सरकार की नगर वन योजना के तहत नगर वन बनने जा रहा है।

सांसद रामचरण बोहरा ने दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से भेंट कर उन्हें जयपुर में नगर वन बनाने के लिए धन्यवाद दिया।

नव विक्रमी संवत्सर 2080 की प्रभातवेला में वर्ष के पहले दिन छोटीकाशी के देवालयों में श्रद्धालुओं ने ठाकुरजी के दर्शन किए। मंदिर में ही नववर्ष की शुभकामनाओं का आदान-प्रदान हुआ। सभी मंदिरों में विशेष झांकी सजाई गई। आराध्य देव गोविंद देवजी मंदिर में सुबह गज पूजन किया गया। सजे धजे गजराजों का पूजन कर पुष्प वर्षा की। गजराजों ने भी सूंड उठाकर अभिवादन किया। इससे पूर्व ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक कर नवीन पोशाक धारण कराई गई।

विश्व कविता दिवस मनाया

जयपुर। विश्व कविता दिवस के उपलक्ष्य में शक्ति फाउंडेशन जयपुर राजस्थान द्वारा ऑनलाइन काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। संस्था की अध्यक्षा कवयित्री जयश्री कँवर ने बताया कि काव्य गोष्ठी में विभिन्न भाषाओं के जाने माने कवियों ने अपनी प्रतिनिधि कविताओं का पाठ किया। हिंदी एवं सिंधी के वरिष्ठ कवि हरीश करमचंदाणी, जयपुर ने सिन्धी एवं हिंदी कविताएँ, वरिष्ठ ग़ज़लकार गोपाल गर्ग, अजमेर ने हिन्दी ग़ज़ल, शायर बलजीत सिंह, अजमेर ने उर्दू गज़ल, डॉ शारदा कृष्ण, सीकर ने राजस्थानी ग़ज़ल, आशा पराशर जोधपुर, डॉ अर्चना राठौड़ जयपुर, हितेश व्यास कोटा-पुणे, जयश्री जयपुर आदि ने हिंदी कविताओं का पाठ किया। दिल्ली विद्यालय से यूथ राइटर ईश्वरी परमार ने मानवीय संवेदनाओं से युक्त अंग्रेजी कविताएँ सुनाई। तकनीकी सहयोग प्राची जैन एवं अम्बिका राठौड़ ने दिया। इस अवसर पर शक्ति फ़ाउंडेशन टीम ने नियमित मासिक काव्य गोष्ठी के आयोजन का निर्णय भी लिया।

आम सूचना हर आम व खास को हम रतन लाल शर्मा पुत्र स्व. मदन लाल शर्मा तथा ज्योति शर्मा पत्नी श्री रतन लाल शर्मा, निवासीयान 506, गणेश नगर मैन, निवारू रोड, झोटवाडा, जयपुर की ओर से सूचित किया जाता है कि हमारा पुत्र दीपक शर्मा एवं पुत्रवधु माया शर्मा तथा दूसरा पुत्र आशिष शर्मा तथा पुत्रवधु नेहा शर्मा हमारे कहने में नही है, तथा हमारी सेवा सुश्रुषा नहीं करते है तथा लड़ाई झगड़ा करते है जिस कारण हमने पुत्रो एवं पुत्रवधुओ को अपनी समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। यदि भविष्य में कोई भी व्यक्ति/संस्था उक्त लोगों से किसी भी प्रकार का संव्यवहार करते है, तो इसकी समस्त जिम्मेदारी उनकी स्वयं की होगी। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। सूचित रहे।

रतन लाल शर्मा, ज्योति देवी

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in. Phone No. 0141-2782772
क्रमांक- DHC-II/3345 दिनांक-22.3.2023

जाहिर आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा वाणिज्यिक भूखण्ड संख्या एस-56 सेक्टर-9, मानसरोवर जयपुर क्षेत्रफल 27.00 वर्गमीटर/वर्गगज का आवंटन श्रीमती राम बाई गुप्ता पत्नी श्री लक्ष्मीचन्द गुप्ता के किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 582 दिनांक 21.01.1997 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त भूखण्ड का भौतिक कब्जा दिनांक 13.06.1997 को प्राप्त कर लिया गया था। राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 3939 दिनांक 31.03.1998 के द्वारा श्रीमती राम बाई गुप्ता पत्नी श्री लक्ष्मीचन्द गुप्ता के नाम अदेय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वत्व के पक्ष में उक्त भूखण्ड के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 31.03.1998 को करवाया गया। इसके पश्चात श्रीमती राम बाई गुप्ता की मृत्यु दिनांक 01.06.2019 को हो जाने के कारण इनके पुत्र श्री सतीश चन्द गुप्ता पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द गुप्ता ने मृत्यु पश्चात हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र एवं वीयतनामा प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है।

अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्री सतीश चन्द गुप्ता पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द गुप्ता के पक्ष में उक्त भूखण्ड के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।

सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

खोया-पाया

मेरे मकान संख्या 26 पंचोली विहार हेम मार्ग न्यू सांगानेर रोड सोडाला जयपुर के मूल रजिस्टर्ड दस्तावेज एवं मूल पट्टा कहीं खो गए है। मिलने पर सूचित करें। वंदना दुलानी मोबाइल 8209776989

मेरे आवास संख्या 31/21/3, वरुण पथ, मानसरोवर का मूल आवंटन पत्र व कब्जा पत्र कहीं खो गया है मिलने पर सूचित करें - श्याम सुंदर पुत्र बालूराम 7734812260

बाबा आर.एन. गौड गृ.नि.स.स.लि. जयपुर की योजना ऑफिसर्स एनक्लेव के प्लाट नंबर 40 मूल आवंटन पत्र, रसीद एवं साईट प्लान गुम हो गये है। सूचित करें - प्रेम देवी 99299555333

बाबा आर.एन. गौड गृ.नि.स.स.लि. जयपुर की योजना ऑफिसर्स एनक्लेव के प्लाट नंबर 172 मूल आवंटन पत्र, रसीद एवं साईट प्लान गुम हो गये है। सूचित करें- नेतराम 99299555333

NAME CHANGE

I Kumari Surekha daughter of army no JC174276A Rank Ex Sub Late Anand Singh Rawat and Hansuli Rawat R/O plot 53 parivahan nagar khatipura jaipur have changed my name From KUMARI SUREKHA to SUREKHA RAWAT vide affidavit dated 21 March 2023 before district notary Jaipur

I Tej kanwar spuse of army no 001153902 Rank Ex SEP GNR Khem Singh R/O village chawandiya post jakhali Teh. makrana dist nagaur That I have changed my name From TEJ KANWAR is wrong entered in service record To TAJ KANWAR vide affidavit dated 20/3/2023 before district notary Jaipur

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य स्तरीय पर्यावरण निर्धारण प्राधिकरण जिला जयपुर (राजस्थान) के पत्र संख्या-F1(4)SEIAA/SEAC-RAJ/ Seett/Project/Cat. B2(22243) 2022-23 दिनांक 14 मार्च 2023 के द्वारा श्री मनोज कुमार के खनन पट्टा एम.एल. Plot No.-17 क्षेत्रफल 1.5096 हैक्टेयर Along with addition of crusher Plant ith Capacity 1500 Tonne/day निकट ग्राम पृथ्वीपुरा तहसील बस्सी जिला-जयपुर के लिए पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है। उपरोक्त स्वीकृति पत्र की प्रति राजस्थान राज्य प्रदूषण कार्यालय में जनसाधारण के देखने के लिए उपलब्ध है एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की वेबसाइट www. environment. rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय,
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर-0141-4901853
आम जाहिर सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा कार्यालय आदेश कमांक 1794 दिनांक 21.12.1996 जारी कर आवास संख्या-3/445 मालवीय नगर, जयपुर क्षेत्रफल 90.00 वर्ग मीटर का प्रतिस्थापन श्रीमती शकुन्तला खत्री पुत्री स्व. श्री प्रीतम दास खत्री के नाम किया गया था। उनके द्वारा उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर प्रथम में दिनांक 08.06.2017 को करवाया गया। श्रीमती शकुन्तला खत्री की मृत्यु दिनांक 21.01.2023 को हो जाने के कारण श्री रोहित खत्री पुत्र स्व. श्रीमती शकुन्तला खत्री के द्वारा आवेदन पत्र के साथ क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयतनामा की छाया प्रति प्रस्तुत कर उक्त आवास का प्रतिस्थापन अपने नाम करने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के प्रतिस्थापन के संबंध में किसी भी व्यक्ति/ बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता- श्री अशोक कुमार गेरयानी एवं श्री गोपाल गेरयानी पुत्रान स्व. श्री बूलचन्द गेरयानी के पक्ष में उक्त आवास के प्रतिस्थापन की कार्यवाही कर दी जावेगी।

सम्पदा प्रबंधक- वृत तृतीय, रा.आ.मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय,
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर-0141-4901853
आम जाहिर सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा आवास संख्या-1/1319 मालवीय नगर, जयपुर क्षेत्रफल 120.00 वर्ग मीटर का आवंटन श्री बूलचन्द गेरयानी को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र कमांक 2001 दिनांक 06.03.1981 एवं संशोधित आवंटन पत्र कमांक 2577 दिनांक 24.03.1981 जारी किया गया था। श्री बूलचन्द गेरयानी की मृत्यु दिनांक 07.06.1993 को हो जाने के कारण श्री अशोक कुमार गेरयानी एवं श्री गोपाल गेरयानी पुत्रान स्व. श्री बूलचन्द गेरयानी के द्वारा आवेदन पत्र के साथ क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, घोषण पत्र, हकत्याग की छाया प्रति एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास का प्रतिस्थापन अपने नाम करने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के प्रतिस्थापन के संबंध में किसी भी व्यक्ति/बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता- श्री अशोक कुमार गेरयानी एवं श्री गोपाल गेरयानी पुत्रान स्व. श्री बूलचन्द गेरयानी के पक्ष में उक्त आवास के प्रतिस्थापन की कार्यवाही कर दी जावेगी।

सम्पदा प्रबंधक- वृत तृतीय, रा.आ.मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय,
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर-0141-4901853
आम जाहिर सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा आवास संख्या-3-ब-11 जवाहर नगर, जयपुर क्षेत्रफल 92.10 वर्ग मीटर का पश्चातवर्ती अंतिम केता के पंजीयन हेतु अदेय प्रमाण पत्र कमांक 2036 दिनांक 20.03.2004 श्रीमती कविता पत्नी श्री लालचन्द एवं श्री लालचन्द पुत्र श्री किशन चन्द के पक्ष में जारी किया गया था। उनके द्वारा दोनों के संयुक्त नाम से आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर प्रथम में दिनांक 29.03.2004 को करवाया गया। उक्त दोनों आवंटियों में से श्रीमती कविता की मृत्यु दिनांक 26.05.2021 एवं श्री लाल चन्द की मृत्यु दिनांक 15.11.2010 को हो जाने के कारण श्री मनोज कुमार पुत्र श्री हरीराम के द्वारा आवेदन पत्र के साथ क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास का प्रतिस्थापन अपने नाम करने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के प्रतिस्थापन के संबंध में किसी भी व्यक्ति/बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता- श्री मनोज कुमार पुत्र श्री हरीराम के पक्ष में उक्त आवास के प्रतिस्थापन की कार्यवाही कर दी जावेगी।

सम्पदा प्रबंधक- वृत तृतीय, रा.आ.मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय,
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर-0141-4901853
आम जाहिर सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा आवास संख्या-14/MB/181 इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर क्षेत्रफल 113.760 वर्ग मीटर का आवंटन श्री मंजूर आलम पुत्र स्व. श्री छोटू खान को किया गया था। जिसका आवंटन कम कब्जा पत्र कमांक 745 दिनांक 25.04.2011 जारी किया गया था। उनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 16.05.2011 को प्राप्त कर लिया गया। श्री मंजूर आलम की मृत्यु दिनांक 22.09.2019 को हो जाने के कारण श्रीमती मुमताज बेगम पत्नी स्व. श्री मंजूर आलम के द्वारा आवेदन पत्र के साथ क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, घोषण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड की छाया प्रति एवं सजरा रिपोट प्रस्तुत कर उक्त आवास का प्रतिस्थापन अपने नाम करने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के प्रतिस्थापन के संबंध में किसी भी व्यक्ति/बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता- श्रीमती मुमताज बेगम पत्नी स्व. श्री मंजूर आलम के पक्ष में उक्त आवास के प्रतिस्थापन की कार्यवाही कर दी जावेगी।

सम्पदा प्रबंधक- वृत तृतीय, रा.आ.मण्डल, जयपुर

पंजाब नैशनल बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking)

मंडल कार्यालय जयपुर-सीकर

**आरसीटी बलेखन (जिलाःजयपुर) में 'वॉचमैन कम गार्डनर' (कुल पद 2) की भर्ती हेतु आउटसोर्सिंग